जनपद - संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनॉक 02-03-2021

आज दिनांक 02.03.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

01 राशि गोवंशीय पशु व 02 अदद बोगदा के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 01 राशि गोवंशीय्र पशु व 02 अदद बोगदा के साथ 02 अभियुक्तगण नाम पता 1- वकील पुत्र अमीन 2- दिलशाद पुत्र मो0 अली निवासीगण साफियाबाद थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार करते हुए बरामद 01 राशि गोवंशीय पशु के सम्बन्ध में थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 69/21 धारा 3/5 (A)/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम तथा वकील पुत्र अमीन व दिलशाद पुत्र मो0 अली के पास से बरामद 01-01 अदद बोगदा के सम्बन्ध में थाना दुधारा पर क्रमशः मु0अ0सं0 70/21 व 71/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तारी टीम – प्रभारी निरीक्षक थाना दुधारा श्री श्रीप्रकाश यादव, प्रभारी चौकी बाघनगर उ0नि0 श्री मनोज कुमार सिंह, हे0का0 मोतीलाल यादव व हमराह।

युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले मे अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु **पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी धनघटा **श्री अम्बरीष भदौरिया** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 69/21 धारा 363 / 366 भा0द0वि0 व 16 / 17 पाक्सो एक्ट मे वांछित अभियुक्त नाम पता दीपक पुत्र कैलाश राजभर निवासी चोरमरा थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 04.02.2021 को वादिनी की पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था, जिसके संबंध मे वादि नी द्वारा दिनांक 17.02.2021 को थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए दिनांक 28.02.2021 को

थाना धनघटा पुलिस द्वारा व्यपहृता को बरामद करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को आज दिनांक 02.03.2021 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री चन्दन कुमार, का0 अतीश कुशवाहा।

युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले मे अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु **पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद **श्री गयादत्त मिश्रा** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना को0 खलीलाबाद पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 533/20 धारा 363 / 366 /376 भा0द0वि0 व 3 / 4 पाक्सो एक्ट तथा 3(ii)(V) एससी / एसटी एक्ट मे वांछित अभियुक्त नाम पता रोहित पुत्र स्व0 भगवानदास निवासी जंगलउन बलुअरा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 19.09.2020 को वादिनी की पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था, जिसके संबंध मे वादि नी द्वारा दिनांक 22.09.2020 को थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए दिनांक 22.01.2021 को थाना को0 खलीलाबाद पुलिस द्वारा व्यपहृता को बरामद करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को आज दिनांक 02.03.2021 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री उदयभान मिश्रा, का0 रजवन्त प्रताप सिंह।

सार्वजनिक जुआ अधिनियम के अन्तर्गत 05 अभियुक्त गिरफ्तार, 360 रूपये नकद व ताश के 52 पत्ते बरामद

थाना बखिरा पुलिस द्वारा जुआ खेल रहे 05 अभियुक्तों नाम पता 1 – कुर्बान अली पुत्र सरदार अली निवासी डबरा 2- शाहिद अली पुत्र सरदार अली निवासी डबरा 3 – मो0 हुसैन पुत्र तबारक हुसैन निवासी बजही 4- शिव कुमार राय पुत्र आशुतोष राय निवासी डबरा 5-आशिक अली पुत्र सरदार अली निवासी डबरा थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर को जुआ खेलते समय 360 रुपये मालफड़ तथा ताश के 52 पत्तो के साथ गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 55/21 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री राजाराम यादव मय हमराह।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3304 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्ति को पहुँचाया गया अस्पताल – पीआरवी 3304 को थाना को0 खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत फलमण्डी से इवेन्ट संख्या 07568 से कालर ने मार्ग दुर्घटना में एक व्यक्ति के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 07 मिनट में पहुंचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुँचाया गया तथा दुर्घटना के सम्बन्ध में थाना को0 खलीलाबाद को सूचित किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाकर उसकी जान बचाई गयी , जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ –आ0 धर्मेन्द्र यादव, हो0चा0 मनीष पाण्डेय।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 42 वाहनो से 53000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 02.03.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 42 वाहनो से 53000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।